बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक– वि.प्रा. (II)ब[3]–23/2011–   /पटना, दिनांक –

प्रेषक,

ओम प्रकाश राय,
अपर सचिव

सेवा में,

अवर सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना

विषयः– वित्तीय वर्ष 2015–16 में आयोजना भिन्न (गैर योजना) बजट के "मुख्य शीर्ष–2203– तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष-- 00, लघुशीर्ष– 102–तकनीकी शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0001– पटना विश्वविद्यालय" विपत्र कोड– एन 2203001020001 के अधीन आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–414, दिनांक 08.02.2016 के द्वारा C.W.J.C. No.-3335/2015, चन्देश्वर साह एवं अन्य बनाम बिहार सरकार में दिनांक 08.05.2015 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ टेकनोलॉजी, पटना के रूप में स्तरोन्नयन की तिथि 28.01.2004 के पूर्व तत्कालीन बिहार कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग, पटना में कार्यरत रहे शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का पंचम वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप बकाया वेतन अन्तर की राशि तथा स्तरोन्नयन की तिथि के पूर्व तत्कालीन बिहार कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग, पटना से सेवानिवृत शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का पंचम एवं छठा वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप बकाया पेंशन/उपादान अन्तर राशि के भुगतानार्थ कुल रू. 7,18,13,000=00 (सात करोड़ अठारह लाख तेरह हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 में उक्त स्वीकृत राशि पटना विश्वविद्यालय, पटना को अनुदान स्वरूप विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2015–16 में नियमानुसार व्यय हेतु विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन 31 04 सहायक अनुदान–वेतन तथा 31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के आलावा विषयशीर्षों में द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से उपबंधित राशि से क्रमशः रू. 2,07,05,000=00 मात्र तथा रू. 5,11,08,000=00 मात्र अर्थात कुल रू. 7,18,13,000=00 (सात करोड़ अठारह लाख तेरह हजार रूपये) मात्र का आवंटन प्रदान किया जाता है।

2. उक्त आवंटित राशि की अग्रिम निकासी सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन (विश्वेश्वरैया भवन), बेली रोड, पटना से की जायेगी तथा उसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से कुलसचिव, पटना विश्वविद्यालय, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक– 10471, दिनांक 16.12.2015 के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव उक्त परिपत्रों तथा वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा– निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।

4. उक्त आवंटित राशि का दूसरे मदों में अपवर्त्तन कदापि नही किया जाय। यदि उक्त विषयशीर्ष में आवंटित राशि का व्यय संभावित नही हो तो उसे यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर विभाग को वापस लौटा दिया जाय।

5. विभिन्न विषयशीर्षों में राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर समुचित शीर्षादि, कूट संख्या, मांग संख्या तथा विपत्र कोड सहित इकाई एवं आयोजना भिन्न (गैर योजना) का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।

6. स्वीकृत्यादेश / आवंटनादेश तथा विपत्रों के कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग का पूर्व प्रेषित पत्रांक 280 / वि(2), दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा निर्देश का अनुपालन अक्षरशः किया जाय।

7. टी॰ भी॰ न॰ एवं तिथि सहित व्यय विवरणी प्रत्येक माह के 7 (सात) तारीख तक निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन
ह॰/ –
(ओम प्रकाश राय)
अपर सचिव

ज्ञापांक – वि॰प्रा॰ (II)ब[3]–23/ 2011– /पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः– प्रधान महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/महालेखाकार (ले॰ एवं ह॰) बिहार, पटना/ सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
अपर सचिव

ज्ञापांक – वि॰प्रा॰ (II)ब[3]–23/ 2011– /पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन (विश्वेश्वरैया भवन), बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
अपर सचिव

ज्ञापांक – वि॰प्रा॰ (II)ब[3]–23/ 2011– 47 (env) /पटना, दिनांक 10/2/016

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/योजना सहायक / आई॰टी॰ मैनेजर (विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)/एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाइल में संधारण हेतु (निर्गत शाखा), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव